

वार्षिक रिपोर्ट



2022-23



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
पहली मंजिल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट:- www.ncrpb.nic.in



विषय सूची

परिच्छेद सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	कार्यकारी सारांश	1-2
2	उद्देश्य	3
3	बोर्ड की संरचना	3-4
4	कार्य/ शक्तियां	4-5
5	एनसीआर के संघटक क्षेत्र	5-6
6	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	6-7
7	योजना समिति	7-8
8	संगठनात्मक संरचना	9-10
9	2022-2023 के दौरान मुख्य क्रियाकलाप	11
9.1	एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना - 2041 की तैयारी	11
9.2	परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल	11-16
9.2.1	एनसीआर में कनेक्टिविटी	11-15
9.2.2	एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिंगेज	15
9.2.3	संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौता	15-16
9.3	"परिमाण" - एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल का विकास	17-18
9.4	एनसीआर का परिसीमन	19
9.5	एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 के तहत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	19-20
9.6	एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी	20
9.7	कार्यात्मक योजनाओं की तैयारी	21
9.8	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन	21-22
9.9	एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	22
9.10	वित्तीय संसाधन	22-23
9.11	संसाधन संग्रहण	23-24
9.12	बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं	24-26
9.13	परियोजनाओं का राज्य-वार और क्षेत्र-वार सारांश	26



परिच्छेद सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
9.14	एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार विवरण (31.03.2023 तक)	27-35
9.15	वर्ष के दौरान वितरित ऋण	36
9.16	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनावार जारी ऋण	36-41
9.17	लेखाओं की लेखापरीक्षा	42
9.18	लेखापरीक्षा अवलोकन	42
9.19	भर्ती	42
9.20	राजपत्र अधिसूचना जारी करना	42
9.21	सतर्कता	42-44
9.22	आरक्षण नीति	44
9.23	सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)	44-45
9.24	पीओएसएच अधिनियम, 2013 का अनुपालन	45
9.25	एन.सी.आर.पी.बी. में राजभाषा को प्रोत्साहन	45
9.26	कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई पर की गई कार्रवाई	46
9.27	एन.सी.आर.पी.बी. में स्वच्छता अभियान 2.0	46
9.28	हर घर तिरंगा अभियान	46
9.29	GEM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) के माध्यम से खरीद	47
9.30	शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी)	47
9.31	एन.सी.आर.पी.बी. में ईएचआरएमएस	47
9.32	साइबर जागरूकता दिवस	47

अनुलग्नक		
अनुलग्नक - 9.2.2	एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिकेज	48
अनुलग्नक - 9.14	एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण सहायता के साथ चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची (31 मार्च, 2023 तक)	49-55



कार्यकारी सारांश

1. हाल के समय ने हमें याद दिलाया है कि आधुनिक दुनिया कितनी अविश्वसनीय रूप से सिकुड़ गई है और हम एक-दूसरे के साथ कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) अंतर-राज्य क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अनूठा उदाहरण है। 1985 में अपनी स्थापना के बाद से, एनसीआरपीबी क्षेत्र के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2. हम, एनसीआरपीबी में, हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं; संभावनाओं और अवसरों से भरा भविष्य। सुधार की संभावनाएँ और सृजन के अवसर। आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज प्रगति और पुनराविष्कार के लिए क्या करते हैं। इस दर्शन को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना-2041 का मसौदा तैयार किया गया और बोर्ड द्वारा अपनी 41वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया। इसके बाद, एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों/उनके विभागों/स्वायत्तताओं/केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों/लोगों के समूह, व्यक्तियों आदि से 4000 से अधिक ईमेल या पत्र प्राप्त हुए। उन पर विधिवत विचार किया गया और जहाँ भी संभव हो सका, उन्हें एसपीए-दिल्ली के परामर्श से मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 में शामिल किया गया। 5 जुलाई 2022 को होने वाली 42वीं बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की जानी थी, हालांकि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उक्त बैठक स्थगित कर दी गई थी।

3. वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ अन्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

- **"परिमाण"** - एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों द्वारा उपयोग के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से विकसित एक वेब जियो-पोर्टल 1 जुलाई 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया।

- **कार्यात्मक योजनाओं की तैयारी** - बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में एनसीआर क्षेत्र के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 की मंजूरी की प्रत्याशा में, 6 क्षेत्रों नामतः अर्थात शहरी उत्थान, आवास और स्लम मुक्त एनसीआर, पर्यटन और विरासत, स्वास्थ्य, डेयरी, शिक्षा और कौशल विकास और स्मार्ट और डिजिटल एनसीआर में कार्यात्मक योजनाओं की तैयारी के लिए आरएफक्यू-सह आरएफपी दस्तावेज़ तैयार किया गया और बोलियां आमंत्रित की गईं।

- **बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं** - वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएसएमजी) द्वारा नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल राशि ₹100.89 करोड़ थी। इसके अलावा, ₹300.00 करोड़ के एमओयू लक्ष्य के मुकाबले, भागीदार राज्यों की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए ₹313.40 करोड़ जारी किए हैं।



- **परियोजनाओं की निगरानी** - बोर्ड परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए उनकी प्रगति की लगातार निगरानी करता है। 2019 से पिछले 4 वर्षों के दौरान, चल रही 91 परियोजनाओं में से 55 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

- **हरियाणा के लिए एसआरपी की तैयारी** - प्रेरक प्रयासों के कारण, एनसीआर के हरियाणा उप-क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र के लिए एसआरपी 16 दिसंबर 2022 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित की गई।

4. एनसीआरपीबी अपने कामकाज के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन के सिद्धांतों और प्रथाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों को सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी द्वारा अनुमोदित किया गया और भारत के सीएजी को प्रस्तुत किया गया। उक्त खातों का उनके द्वारा विधिवत ऑडिट किया गया और ऑडिट प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों पर सभी बोर्ड सदस्यों का अनुमोदन परिचालन द्वारा प्राप्त किया गया और अध्यक्ष की मंजूरी के लिए और बाद में संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

5. स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और यह हमारे सभी प्रयासों का आधार है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक एनसीआरपीबी के कार्यालय में एक विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 आयोजित किया गया था, जिसके दौरान स्वच्छता, अच्छे कार्य वातावरण को सुनिश्चित करने और फाइलों, पुराने फर्नीचर, स्क्रेप सामग्री आदि को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान, सार्वजनिक शिकायतों, संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, संसदीय संदर्भ आदि के प्रभावी निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया।

6. भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय होने के नाते, बोर्ड एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी (पीडब्ल्यूबीडी वाले व्यक्तियों) बेंचमार्क विकलांगताएं) / भूतपूर्व सैनिक / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करता है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा के प्रचार-प्रसार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गईं। उपरोक्त के अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 आदि के प्रावधानों को बोर्ड में अक्षरशः लागू किया गया है।



2. उद्देश्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- ख. उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- ग. इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके ।

3. बोर्ड की संरचना

बोर्ड का वर्तमान गठन इस प्रकार है:

1.	केन्द्रीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
3.	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
4.	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
5.	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
6.	मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8.	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
10.	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
12.	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
13.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
14.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार	सदस्य
16.	प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव



सहयोगित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार

4. कार्य / शक्तियाँ

कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित हैं:

- (क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजना तैयार करना;
- (ख) प्रतिभागी राज्यों में से प्रत्येक द्वारा और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान तैयार किए जाने की व्यवस्था करना;
- (ग) प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना प्लानों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना;
- (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उपक्षेत्रों में परियोजनाएँ बनाने, पूर्विकताएँ अवधारित करने और क्षेत्रीय योजना में उपदर्शित प्रक्रमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समंजन करने की बाबत प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा उचित और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;
- (ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनी गई विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना और उनका पर्यवेक्षण करना।

शक्तियाँ

रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

- (क) प्रकार्य योजनाओं और उपक्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने, उनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन की बाबत, प्रतिभागी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र से रिपोर्टें और जानकारी मंगाना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि, प्रकार्य योजना और उपक्षेत्रीय योजना की तैयारी, प्रवर्तन और कार्यान्वयन जैसा भी मामला हो, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप है;
- (ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम उपदर्शित करना;



- (घ) क्षेत्रीय योजना, प्रकार्य योजना, उपक्षेत्रीय योजना और परियोजना प्लान के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना;
- (ङ) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, पूर्विकता विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो बोर्ड ठीक समझे;
- (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर, किसी ऐसे नगर क्षेत्र का, जिसका उसकी अवस्थिति, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से विकास किया जा सके, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, चयन करना;
- (छ) समिति को ऐसे अन्य प्रकार्य सौंपना, जो वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संघटक क्षेत्र

5.1 जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की अनुसूची {धारा 2 (च)} में एवं तत्पश्चात, 14.03.1986 और 23.08.2004 (अलवर जिले के शेष हिस्से को शामिल करने के लिए) की अधिसूचनाओं में परिभाषित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि चार राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है। उपर्युक्त क्षेत्र के लिए तैयार क्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था।

5.2 इसके पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुछ नए क्षेत्रों/ज़िलों का सम्मिलन किया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

हरियाणा राज्य के भिवानी और महेन्द्रगढ़ ज़िले तथा राजस्थान का भरतपुर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 1.10.2013 की अधिसूचना के द्वारा
हरियाणा राज्य के जींद एवं करनाल ज़िले तथा उत्तर प्रदेश का मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 24.11.2015 की अधिसूचना के द्वारा
उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला	भारत सरकार की दिनांक 16.04.2018 की अधिसूचना के द्वारा

5.3 इन अधिसूचनाओं एवं अनुमोदनों के पश्चात, एनसीआर का क्षेत्र करीब 55,083 वर्ग किमी है जिसकी जनसंख्या लगभग 581.5 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) है। उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा निम्नलिखित है:



उप क्षेत्र	जिलों के नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या (लाख में)
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरुग्राम, नुह (भूतपूर्व मेवात), रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल	25,327	164.3
उत्तर प्रदेश	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुज़फ्फरनगर और शामली	14,826	187.1
राजस्थान	अलवर और भरतपुर	13,447	62.2
दिल्ली	सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	167.9
	कुल	55,083	581.5

6. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर कोई भी क्षेत्र, उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र (सीएमए) के रूप में विकसित करने के लिए चुन सकता है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नौ काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र हैं, जो इस प्रकार हैं:

- (क) हरियाणा में हिसार
- (ख) हरियाणा में अम्बाला
- (ग) उत्तर प्रदेश में बरेली
- (घ) उत्तर प्रदेश में कानपुर-लखनऊ कॉरीडोर
- (ङ) राजस्थान में कोटा
- (च) राजस्थान में जयपुर
- (छ) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
- (ज) पंजाब में पटियाला-राजपुरा कॉरीडोर
- (झ) उत्तराखंड में देहरादून

6.2 क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-



- क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह के अवरोधक के तौर पर, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास आस पास के कम विकसित क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित करेगा; और
- ख. क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनाओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहरीकरण का संतुलित पैटर्न बन जाएगा ।

7. योजना समिति

7.1 गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। योजना समिति का गठन इस प्रकार है:

1.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6.	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7.	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9.	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा	सदस्य
10.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

7.2 सहयोगित सदस्य

- वरिष्ठ सलाहकार (एच.यू.डी.), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवासन और शहरी विकास निगम
- संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय (वर्तमान में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
- संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
- मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड



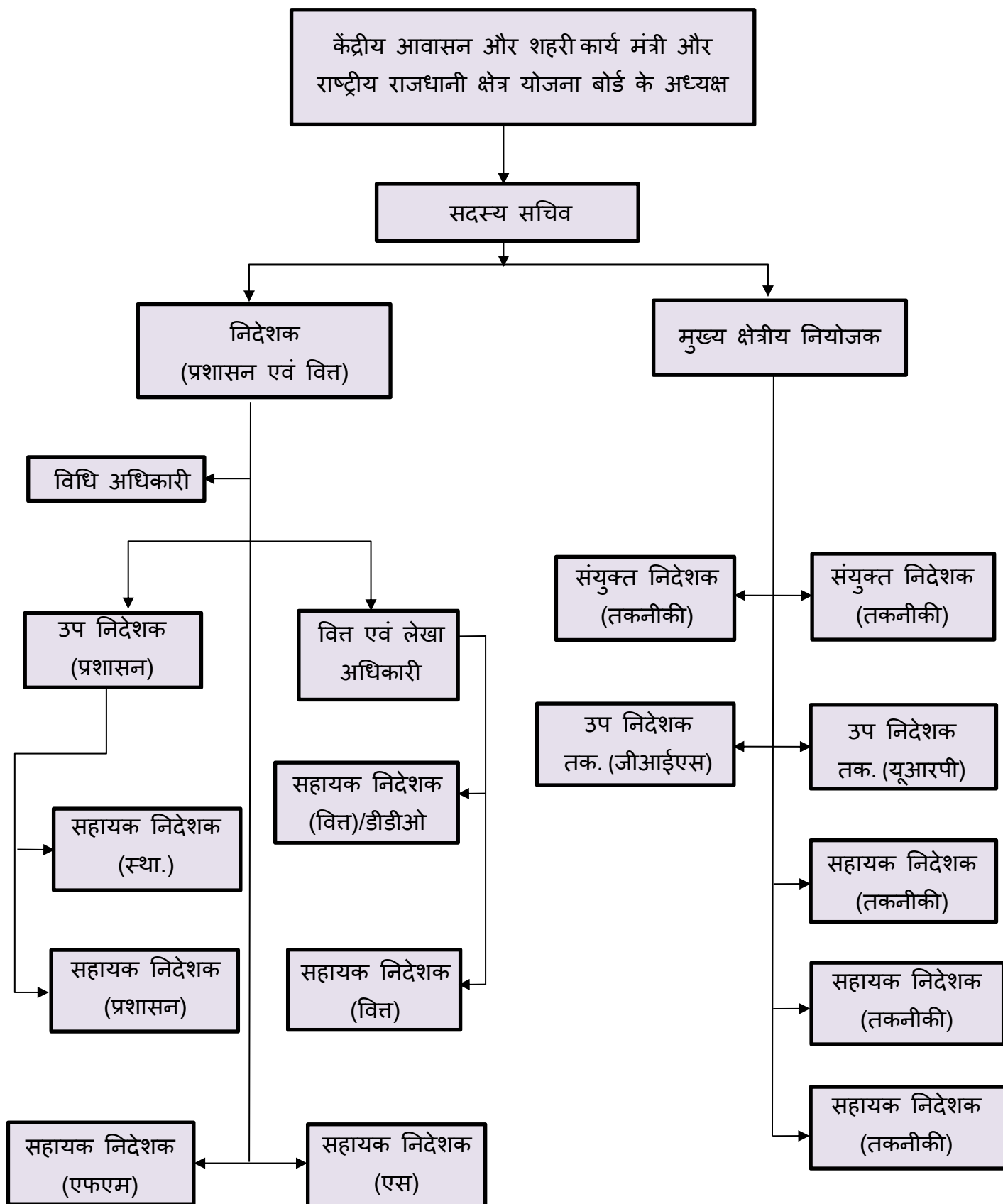
7.3 योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

- (1) समिति के कृत्य:
 - (क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्य योजनाओं को तैयार करने में और उनके समन्वित कार्यान्वयन में; और
 - (ख) उपक्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना प्लानों की यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं जांच करने में, बोर्ड की सहायता करना होगा।
- (2) समिति किसी उपक्षेत्रीय योजना या किसी परियोजना प्लान को संशोधित या उपांतरित करने के लिए बोर्ड से ऐसी सिफारिश कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।
- (3) समिति ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।



8.0 संगठनात्मक संरचना





8.1 श्रमशक्ति

एन.सी.आर.पी.बी. के सचिवालय में योजना, प्रशासन, वित्त और परियोजना विंग शामिल हैं। 31.03.2023 को बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	15	10
समूह 'ख'	6	3
समूह 'ग'	24	23
समूह 'घ'	7	5
कुल	52	41

8.2 31.3.2023 तक प्रबंधन टीम

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	सदस्य सचिव
2.	श्री जगमोहन सिंह	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक@
3.	श्री जगदीश पारवानी	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
4.	पद रिक्त	संयुक्त निदेशक (तक.)*
5.	पद रिक्त	संयुक्त निदेशक (तक.)*
6.	पद रिक्त	विधि अधिकारी**#
7.	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (तक.-जीआईएस)
8.	श्री हर्ष कालिया	उप निदेशक (प्रशा.)- चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर#
9.	श्री रमेश देव	उप निदेशक (तक.- यूआरपी)
10.	श्री अजिताभ सक्सेना	वित्त एवं लेखा अधिकारी
11.	श्री अभिजीत सामंता	उप निदेशक (तक.)***
12.	श्रीमती निलिमा माझि	उप निदेशक (तक.)***
13.	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
14.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (वि.प्र.)**
15.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (सु.उ.)**
16.	श्री सत्यबीर सिंह	सहायक निदेशक (तक.)***
17.	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ
18.	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निदेशक (प्रशा.)
19.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (वित्त)#
20.	पद रिक्त	सहायक निदेशक (स्था.)#

* पद का पुनरुद्धार प्रक्रिया में

** भर्ती नियमों (आरआर) में संशोधन और पद के पुनरुद्धार की प्रक्रिया चल रही है।

*** असेसमेंट स्कीम के तहत इन-सीटू प्रमोशन दिया गया।

सलाहकार नियुक्त

@ 07.03.2023 से अनुबंध पर



9. पूर्वव्यापी में वर्ष 2022-2023 की मुख्य बातें

वर्ष 2022-23 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों और प्राप्त उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

9.1 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2041 की तैयारी

- i. ड्राफ्ट आरपी-2041 तैयार किया गया था और जनवरी 2021 में एनसीआर राज्यों को वितरित किया गया था। इसे मार्च 2021 में टिप्पणियों के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को वितरित किया गया था। इसके अलावा, मसौदा आरपी-2041 को 31.08.2021 और 12.10.2021 को आयोजित 40वीं और 41वीं बैठकों में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। एनसीआरपीबी अधिनियम के अनुसार, मसौदा आरपी-2041 को 09.12.2021 को सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में, एनसीआर में भाग लेने वाले राज्यों/उनके विभागों/प्राधिकरणों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों/लोगों के समूह, व्यक्तियों आदि से 4000 से अधिक ईमेल या पत्र प्राप्त हुए थे। एसपीए-दिल्ली द्वारा समीक्षा की गई संशोधित मसौदा क्षेत्रीय योजना - 2041 को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाना था।
- ii. इस मामले पर 05.07.2022 को होने वाली 42वीं बोर्ड बैठक में चर्चा करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उक्त बैठक स्थगित कर दी गई थी।
- iii. क्षेत्रीय योजना-2041 के मसौदे पर बोर्ड द्वारा अगली बैठक में चर्चा और विचार किए जाने की उम्मीद है।

9.2 परिवहन क्षेत्र में प्रमुख पहल

9.2.1 एनसीआर में कनेक्टिविटी:

क) सड़क नेटवर्क

- i. क्षेत्रीय योजना-2021 क्षेत्र में परिकल्पित विकास को प्रोत्साहित करने, मार्गदर्शन करने और जारी रखने और एनसीटी-दिल्ली और क्षेत्रीय शहरों के बीच उच्च यातायात संपर्क को पूरा करने के लिए पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का प्रस्ताव करता है। एनसीआर में प्रस्तावित



पदानुक्रमित सड़क नेटवर्क का कार्यान्वयन एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।

- ii. क्षेत्रीय योजना-2021 का एक उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय सतत विकास के लिए भूमि उपयोग पैटर्न के साथ अच्छी तरह से एकीकृत कुशल और आर्थिक रेल और सड़क आधारित परिवहन प्रणाली (बड़े पैमाने पर परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करना है। इसके बाद, एनसीआर योजना बोर्ड ने एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर एक कार्यात्मक योजना एफटीपी-2032 तैयार की और प्रस्तावों/नीतियों/ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए इसे प्रतिभागी राज्यों/ संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित किया। एफटीपी-2032 के प्रावधानों/प्रस्तावों को प्रतिभागी राज्य सरकारों/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसके अलावा, एन.सी.आर.पी.बी. ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्ट लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है।
- iii. एनसीआर के लिए परिवहन -2032 पर कार्यात्मक योजना के प्रस्तावों में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, नई रेल लाइनें, क्षेत्रीय मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एक्सप्रेसवे, सड़कों का उन्नयन, बस परिवहन-प्रणाली, बस टर्मिनल, लॉजिस्टिक हब, एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स, राजमार्ग सुविधा केंद्र, हवाई अड्डे (आवश्यक भूमि का निर्धारण सहित) शामिल हैं।
- iv. प्राथमिक सड़कें क्षेत्रीय/प्राथमिकता वाले शहरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली से जोड़ने वाली रेडियल सड़कों को कवर करती हैं। क्षेत्रीय योजना -2021 ने मौजूदा रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड और पांच रेडियल सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) को केंद्रीय एनसीआर (सीएनसीआर) कस्बों तक (यानी एनएच 1 दिल्ली से कुंडली, एनएच 2 दिल्ली से बल्लभगढ़, एनएच 8 दिल्ली से गुड़गांव एनएच 10 दिल्ली से बहादुरगढ़ और एनएच 24 दिल्ली से गाजियाबाद) एक्सप्रेसवे मानकों पर विकास के लिए प्रस्तावित किया। इनमें से निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें चालू कर दिया गया है।



एए) 135 किलोमीटर लम्बे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (डब्ल्यूपीई), जिसे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे नाम से भी जाना जाता है, का कार्यान्वयन हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था। डब्ल्यूपीई का पलवल से मानेसर तक का हिस्सा वर्ष 2016 में चालू कर दिया गया था और शेष भाग नवंबर 2018 में चालू किया गया है।

एबी) 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) को मई 2018 में चालू किया गया था।

एसी) दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कार्यान्वित किया गया है, वह भी जनता के इस्तेमाल के लिए चालू कर दिया गया है।

बी) रेल नेटवर्क

(i) क्षेत्रीय योजना -2021 ने प्रस्तावित किया कि केवल सड़क नेटवर्क के विकास से एनसीआर में परिवहन की मांग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, मांग और आपूर्ति में अंतर को पूरा करने के लिए एक सहायक रेल नेटवर्क विकसित करना होगा। इन नेटवर्कों की प्रणाली को एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

(ii) क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस)

एए) क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि प्राथमिक क्षेत्रीय रेल नेटवर्क को विशिष्ट कॉरिडोर की मांग को पूरा करने के लिए समर्पित लाइनों के माध्यम से क्षेत्रीय केंद्रों को एक दूसरे से और दिल्ली से जोड़ना चाहिए और इसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम





(आरआरटीएस) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एनसीआर-2032 के लिए परिवहन पर कार्यात्मक योजना आठ तेज और कुशल आरआरटीएस कॉरिडोर की सिफारिश करती है, जो इस प्रकार हैं:

- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ
- दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर
- दिल्ली-सोनीपत-पानीपत
- दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-पलवल
- गाजियाबाद-खुर्जा
- दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक
- गाजियाबाद-हापुड़
- दिल्ली-शाहदरा-बड़ौत आरआरटीएस कॉरिडोर एनसीआर के यात्रियों के लिए ।

एबी) एनसीआर में आरआरटीएस परियोजना की योजना और कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्थापना की गई है जो कि भारत सरकार, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है।

एसी) एनसीआरटीसी द्वारा पहले चरण में विकास के लिए आरआरटीएस के तीन प्राथमिकता प्राप्त गलियारे नामतः दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत, जो कि 381 किमी का है, लिए गए हैं और मेरठ-गाजियाबाद-दिल्ली कॉरिडोर के लिए जमीन पर कार्य प्रगति पर है।

(iii) दिल्ली और सीएनसीआर कस्बों के लिए एमआरटीएस

क्षेत्रीय योजना-2021 ने प्रस्तावित किया कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को सीएनसीआर शहरों में विस्तारित किया जाए और दिल्ली में उन्नत रिंग रेलवे के साथ एकीकृत किया जाए और प्रस्तावित क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के साथ एकीकृत किया जाए। यह भी प्रस्तावित है कि एमआरटीएस और आरआरटीएस की योजना उपयुक्त एकीकृत फीडर रेल/सड़क सेवाओं के साथ बनाई जानी है। एमआरटीएस (मेट्रो) का विस्तार सीएनसीआर शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद-वैशाली, फरीदाबाद-बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ तक कर दिया गया है।



9.2.2 एनसीआर में अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सड़कें/लिंगेज

एनसीआर घटक राज्यों के बीच विभिन्न अंतर्राज्यीय संपर्क सड़क/लिंगेज मुद्दे (अनुलग्नक-9.2.2) हैं। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा अंतर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त लिंगेज में से, दो मुद्दों नामतः

- बवाना औचंडी मार्ग का एसएच 18 हरियाणा तक विस्तार
- कालिंदी कुंज-नोएडा के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल के निर्माण का समाधान कर लिया गया है और यह जनता के लिए खोल दिए गए हैं।

शेष लिंगेज के लिए एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर में प्रतिभागी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है।

9.2.3 संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौता (सीआरसीटीए):

- i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की एक समिति सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में गठित की गई थी जो वाहनों के अंतर-राज्यीय आवागमन के सभी पक्षों से संबंधित कार्य देखती है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी संघटक क्षेत्रों के लिए बहुपक्षीय करारों के साझा स्वरूप पर विचार करती है, जिन पर एनसीआर में वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने के लिए एनसीआर के घटक राज्य हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- ii. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच दो पारस्परिक आम परिवहन समझौतों (आरसीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए। जहां 14.10.2008 को 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वहीं 'स्टेज कैरिज' के लिए समझौते पर 22.04.2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों समझौते घटक राज्यों द्वारा अधिसूचित किए गए थे और 10 साल के लिए यानी 'कॉन्ट्रैक्ट कैरिज' के लिए 13.10.2018 तक और 'स्टेज कैरिज' के लिए 21.10.2020 तक या नए समझौते पर हस्ताक्षर होने तक वैध थे। इसके बाद इन समझौतों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया।
- iii. इसके बाद, स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए (संयुक्त) पारस्परिक आम परिवहन समझौते पर सहमति हुई और हरियाणा सरकार, एनसीटी-दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए, और इसकी जानकारी 31.08.2021 को आयोजित 40^{वीं} बोर्ड बैठक में साझा की गई। इसके बाद एनसीआर प्रतिभागी राज्यों को अपने राज्यों के भीतर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा (5) और (6) के तहत आवश्यक आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी थी। जबकि हस्ताक्षरित समझौता 31.08.2021 को जारी किया गया था, राज्यों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए सीआरसीटीए को अधिसूचित



करना था, आगे के आदेश समय-समय पर सभी एनसीआर प्रतिभागी राज्यों की सहमति से जारी किए गए थे, जिसमें दोनों मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट/स्टेज कैरिज आरसीटीए के विस्तार के सम्बंध में बताया गया था। इस तरह के विस्तार आदेशों ने यह भी सूचित किया कि इन आरसीटीए के संबंध में ऐसी विस्तारित तिथियों तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, यथास्थिति बनाए रखी जाए।

- iv. सभी एनसीआर राज्यों ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा (5) और (6) के तहत आवश्यक आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली है और बिना किसी बदलाव के स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए (संयुक्त) आरसीटीए अधिसूचित किया है। 31.08.2021 को हस्ताक्षरित स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए सीआरसीटीए के पैरा 1 में प्रावधान है कि "एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के जारी होने पर यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होगा।" इसके अलावा, हस्ताक्षरित समझौते के पैरा 5.2 में कहा गया है कि "यह समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 10 वर्षों के लिए या घटक राज्यों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगा।"
- v. एनसीआर में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समझौता अंततः जारी किया गया और यह 25.03.2022 से प्रभावी है। स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए यह संयुक्त आरसीटीए हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 साल के लिए यानी 31.08.2031 तक या इस तरह के प्रावधानों के अनुसार घटक राज्यों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। इससे एनसीआर में अंतरराज्यीय यातायात की अप्रतिबंधित और निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा।
- vi. परिवहन सचिवों/आयुक्तों (सीओटीएस) की समिति की बैठकें 19.09.2022, 03.10.2022, 22.11.2022 और 28.03.2023 को आयोजित की गईं।
- vii. प्रदूषण में कमी लाने के लिए, एनसीआर में भाग लेने वाले राज्य/केंद्र सरकार के विभागों और संबंधित एजेंसियों के साथ एनसीआर में स्वच्छ ईंधन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।



9.3 "परिमाण" - एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल का विकास:

- i. संपूर्ण एनसीआर के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस रिपॉजिटरी की आवश्यकता पर विचार करते हुए और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनसीआर प्रतिभागी राज्यों और एन.सी.आर.पी.बी. के कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए एक वेब जियो-पोर्टल विकसित किया गया है। जियो-पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव एनआईसी से प्राप्त हुआ था और सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2019 को आयोजित परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- II (पीएसएमजी-II) की 14वीं बैठक में विचार-विमर्श और ₹9,97,454.2 की मामूली लागत पर अनुमोदित किया गया था। पोर्टल में लगभग 179 परतें/उप-परतें हैं जो लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन फीचर के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का विवरण शामिल है। 23.02.2021 को आयोजित 69वीं योजना समिति की बैठक में एनआईसी द्वारा जियो-पोर्टल पर एक प्रस्तुति दी गई। उक्त बैठक में प्रतिभागियों द्वारा दिए गए अवलोकन/सुझाव थे, जिन्हें एनआईसी द्वारा उपयुक्त रूप से शामिल किया गया था।
- ii. एनसीआर के लिए अपनी तरह के इस पहले वेब जियो-पोर्टल को विकसित करने के लिए, उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, एक्सेस कंट्रोल और गतिशील कार्यात्मकताओं आदि के साथ एक मजबूत केंद्रीय डेटाबेस भंडार विकसित किया गया है। एनसीआर के लिए 'परिमाण' के नाम से जाना जाने वाला जियो-पोर्टल 31.08.2021 को बोर्ड की 40वीं बैठक में माननीय अध्यक्ष, एन.सी.आर.पी.बी. और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य के कैबिनेट मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- iii. अब, एन.सी.आर.पी.बी. ने 01.07.2022 को जियो-पोर्टल को जनता के लिए खोल दिया है। जियो-पोर्टल को एनसीआरपीबी वेबसाइट <https://ncrpb.nic.in/> और वेब लिंक <https://ncrpbgis.nic.in/> के माध्यम से भी खोला जा सकता है। एन.सी.आर.पी.बी. की जीआईएस टीम पोर्टल में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों के संबंध में एनआईसी के साथ लगातार चर्चा और अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।



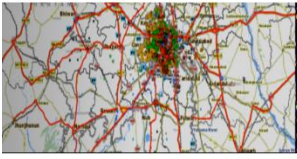


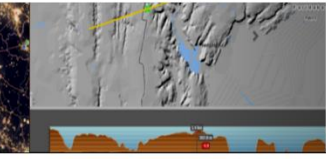
भारत सरकार
Government of India

PARIMAN



Digital India
Power To Empower





ABOUT US

NCR Geo-portal (PARIMAN) is a robust system to facilitate better sub-regional and local planning. This contains various layers collected from authentic sources. The portal has many Base Maps, Satellite Image services and Night Light Data of different time spans. Terrain map provides the Elevation Profile of a route. Administrative units like State Boundaries to Village Boundaries, various Headquarters to Habitations, Parliamentary and Assembly Constituency Boundaries are integrated in this portal. Other layers include Road, Rail and Metro Networks, Points of Interest like Education, Health, Banking, Post Office, Power and Telecom, Industries, Tourism, River and Canal Networks and many more. Area of Interest function facilitates a comprehensive view for any information of a particular State or District or Tehsil. This Geo-portal is a very important platform to know where and what exist and what else is required for better planning.

National Capital Region


[Login to NCR Geo-Portal](#)

— LAYER INFORMATION —

Administrative Layer Agriculture Power & Telecom Shelter and Relief Sports	Transport Layer Banking & Post Office Point of Interest Heritage and Tourism Disaster Management	Health & Education Industries Physiography and Slope Rivers and Canals Other Layers
---	---	--

[Bharat Maps](#)

[National Capital Region Planning Board](#)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

National Capital Region Planning Board,
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS,
GOVERNMENT OF INDIA

Geo Portal For
National Capital Region Planning Board

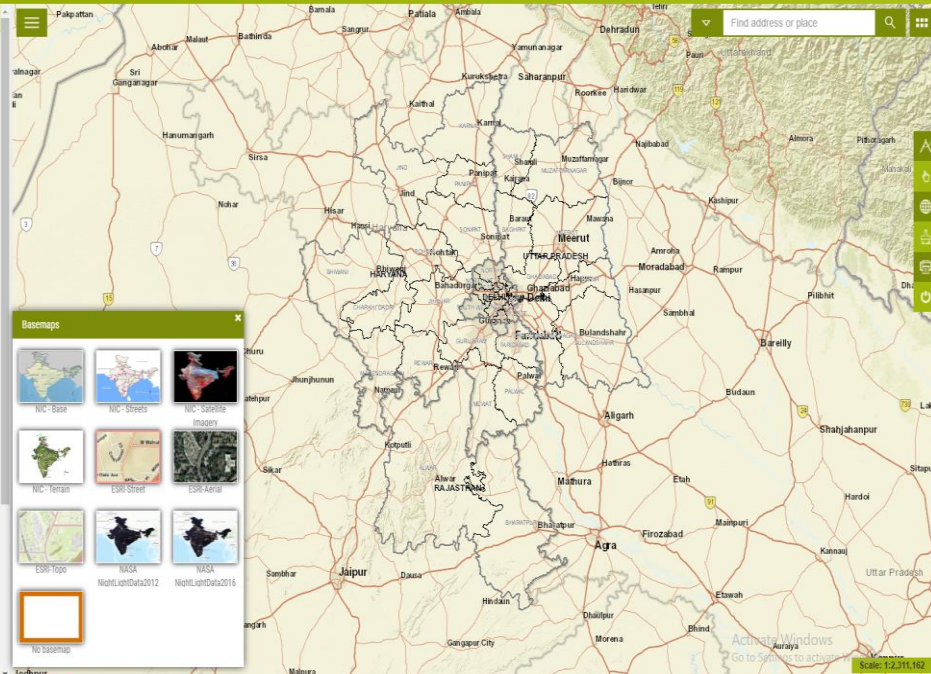



Table of Contents

Select Layer

- ☒ Layers
 - ☒ NCR Boundary
 - ☐ Settlement
 - ☐ Transport
 - ☐ Points of Interest (34 Layers)
 - ☐ Health
 - ☐ Schools (NIC, Through API)
 - ☐ Agriculture
 - ☐ Banking Facilities (NIC, Through API)
 - ☐ Power and Telecom
 - ☐ Post Offices (NIC, 2020)
 - ☐ Sports (NIC, 2010)
 - ☐ Shelter and Relief (Open Source)
 - ☐ Industries
 - ☐ Heritage and Tourism (ADI & State Archaeological Department-2019)
 - ☐ Rivers and Canals (NIC, 2010)
 - ☒ Counter Magnet Areas (RP-2021, 2005)
 - ☐ Dense Residential Areas (Open Source)
 - ☐ Disaster Management
 - ☐ Ground Water Recharge Area (NRSC Study 2016)
 - ☐ Ground Water Prospects (NRSC Study 2016)
 - ☐ Ground Water Critical Blocks (CGWB)
 - ☐ Physiography and Slope
 - ☐ Lithology (NRSC Study 2016)
 - ☐ Land Use and Land Cover
 - ☐ Geomorphology (NRSC Study 2016)
 - ☐ Demography
 - ☐ Policy Zones (NCR Regional Plan-2021)

Basemaps



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

18



9.4 एनसीआर का परिसीमन

- i. बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा एनसीआर के परिसीमन के लिए समिति का गठन किया गया था और 'एनसीआर के परिसीमन' पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिस पर योजना समिति (15.07.2019) की 67वीं बैठक और उसके बाद बोर्ड की 38वीं बैठक (13.09.2019) में विचार-विमर्श किया गया था। बोर्ड की बैठक के दौरान अध्यक्ष, एन.सी.आर.पी.बी. के निर्देशानुसार, मसौदा रिपोर्ट में सुझाई गई सिफारिशों/विकल्पों पर चर्चा करने के लिए 17.01.2020 को विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- ii. इसके अलावा, एनसीआर परिसीमन पर बैठक 18.11.2020 को अ.स.(डी), एमओएचयू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसके बाद 05.10.2020 को आयोजित बोर्ड की 39वीं बैठक के निर्णयों के अनुसार सचिव, एचयू की अध्यक्षता में 12.01.2021 और 12.03.2021 को बैठक हुई थी। इस मामले पर बोर्ड द्वारा क्रमशः 31.08.2021 और 12.10.2021 को आयोजित 40वीं और 41वीं बोर्ड बैठकों में चर्चा की गई।
- iii. एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के परामर्श से सुझाए गए मानकों पर काम कर रहा है।

9.5 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी

- (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अनुसार “प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य उस राज्य के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा और संघ राज्यक्षेत्र, संघ राज्यक्षेत्र के भीतर के उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना तैयार करेगा”।
- (ii) उप-क्षेत्रीय योजनाएं (एसआरपी) संबंधित प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं/तैयार की जा रही हैं। उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
एनसीटी दिल्ली	- एमओएचयू द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डीडीए/अन्य एजेंसी एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार उप-क्षेत्रीय



	योजना बनाने में शामिल हो सकती है, जिसे दिल्ली की उप-क्षेत्रीय योजना के रूप में अपनाने से पहले जीएनसीटीडी और एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। ड्राफ्ट एसआरपी डीडीए द्वारा तैयार किया गया था और 21.09.2020 को एनसीटी दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली के शहरी विकास विभाग, जीएनसीटी ने सूचित किया है कि दिल्ली के लिए अंतिम एसआरपी-2021 को जीएनसीटीडी के शहरी विकास विभाग की वेबसाइट (www.ud.delhigovt.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है। इसकी सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 23.10.21 को प्रकाशित की गई है।
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित किया।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 अलवर जिला की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उपक्षेत्रीय योजना-2021 को वर्ष 2014 में अंतिम रूप दिया जा चुका है। तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ एवं सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।

9.6 एनसीआर में नए जोड़े गए जिलों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी

क्षेत्रीय योजना 2021 की अधिसूचना के बाद जोड़े गए जिलों के लिए उप-क्षेत्रीय योजना (एसआरपी) तैयार करने की स्थिति इस प्रकार है:-

उप-क्षेत्र	स्थिति
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 18.02.2020 को भरतपुर के लिए एसआरपी प्रकाशित किया।
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. उप-क्षेत्र में नए जिलों के लिए एसआरपी-2021 उ.प्र. सरकार द्वारा 07.01.2022 को प्रकाशित किया गया है।
हरियाणा	हरियाणा सरकार ने 16.12.2022 को एसआरपी प्रकाशित किया।



9.7 कार्यात्मक योजनाओं की तैयारी:

बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में एनसीआर के लिए मसौदा क्षेत्रीय योजना -2041 की मंजूरी की प्रत्याशा में, निम्नलिखित 6 क्षेत्रों के लिए कार्यात्मक योजनाओं की तैयारी के लिए आरएफक्यू-सह आरएफपी दस्तावेज़ तैयार कर जून 2022 में बोलियां आमंत्रित की गई थीं: -

- i) शहरी उत्थान, आवास और स्लम मुक्त एनसीआर
- ii) पर्यटन और विरासत
- iii) स्वास्थ्य
- iv) डेयरी
- v) शिक्षा और कौशल विकास
- vi) स्मार्ट और डिजिटल एनसीआर

तत्पश्चात, तकनीकी और वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, शहरी उत्थान, आवास और स्लम मुक्त एनसीआर पर कार्यात्मक योजना की तैयारी के लिए सफल बोलीदाता को पुरस्कार पत्र जारी किया गया। शेष 5 कार्यात्मक योजनाओं के लिए बोलियाँ रद्द कर दी गईं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के लिए 3 से कम बोलियाँ प्राप्त हुईं। इसके बाद, मार्च 2023 में ऐसी कार्यात्मक योजनाओं के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित की गईं।

9.8 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन

एन.सी.आर.पी.बी. ने वर्ष 2022-23 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर श्री मनोज जोशी, सचिव, एमओएचयूए





और श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. ने मंत्रालय और एन.सी.आर.पी.बी. के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

9.9 एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जैसे बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह (पीएसएमजी), राज्य स्तरीय संचालन समिति विभिन्न बैठकों के माध्यम से। विवरण निम्नानुसार है:

- i. योजना समिति की 71वीं बैठक और 72वीं बैठक क्रमशः 04.01.2023 और 15.03.2023 को आयोजित की गई।
- ii. 62वीं पीएसएमजी-1 की बैठक 31.03.2023 को आयोजित हुई।
- iii. सीओटीएस की बैठकें 19.09.2022, 03.10.2022, 22.11.2022 और 28.03.2023 को आयोजित की गई।
- iv. 27.10.2022 को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक।
- v. 27.01.2023 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक।
- vi. एनसीआर योजना और निगरानी कक्षों (एनसीआरपीएमसी) की समीक्षा बैठक 29-07-2022, 01.09.2022, 22.09.2022, 22.11.2022, 06.12.2022, 10.01.23 और 16.02.2023 को आयोजित की गई।

9.10 वित्तीय संसाधन

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन इस प्रकार थे:-

क) भारत सरकार से बजटीय सहायता

- i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अंशदान- ₹50 करोड़;
- ii) बोर्ड के वेतन और भत्ते और अन्य कार्यालय खर्चों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त राजस्व अनुदान - ₹5.10 करोड़।

ख) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन

- i) आंतरिक उपाजन अर्थात् राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर अर्जित ब्याज, बैंक जमा पर ब्याज, आयकर रिफंड पर ब्याज, आदि नकद आधार पर - ₹361 करोड़। (अलेखापरीक्षित)



ii) उधारकर्ताओं अर्थात राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऋणों की चुकौती (मूलधन) - ₹1,520 करोड़ (अलेखापरीक्षित) । राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31.03.2023 तक ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं वास्तविक व्यय निम्नानुसार था:-
(₹ करोड़ में)

विवरण	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय (अलेखापरीक्षित)		
		अनुदान	आईईबीआर	कुल
पूंजी*	50.00	50.00	352.00	402.00
राजस्व*	5.10	5.10	1.90	7.00
कुल	55.10	55.10	353.90	409.00

* राजस्व अनुदान से अधिक राजस्व व्यय बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया था।

9.11 संसाधन संग्रहण

क) घरेलू पूंजी बाजार - बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। 31 मार्च, 2023 तक बांडों के माध्यम से एन.सी.आर.पी.बी. की कुल बकाया उधारी शून्य है।

ख) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण

- एडीबी से ऋण** - एडीबी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा के रूप में एन.सी.आर.पी.बी. को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। 17.3.2011 को एडीबी और एन.सी.आर.पी.बी. के बीच 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस्त-1 ऋण राशि 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 18.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर को रद्द कर दिया गया। बोर्ड ने 31.12.2014 की ऋण समाप्ति तिथि से पहले ही किस्त 1 के लिए 59.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपूर्ण ऋण राशि का उपयोग कर लिया। ब्याज की दर जनवरी 2022 से प्रभावी वैकल्पिक संदर्भ दर + मार्जिन पर आधारित है, (दिसंबर-2021 तक ब्याज 6 महीने के लिबोर + मार्जिन पर आधारित था) जैसा कि एडीबी द्वारा अर्धवार्षिक देय प्रासंगिक



अवधि की धनराशि लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 वर्ष की मोहलत के साथ पुनर्भुगतान अवधि 25 वर्ष है। बोर्ड एडीबी को अपने बकाए का नियमित भुगतान करता रहा है। 31.03.2023 तक एडीबी का कुल बकाया ऋण 49.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹405.18 करोड़) था (विनिमय दर 31.03.2023 को ₹82.2169/अमेरिकी डॉलर पर आधारित)।

- ii) **केएफडब्ल्यू** - जर्मन एजेंसी से ऋण -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के लिए यूरो 100 मिलियन ऋण + यूरो 1 मिलियन अनुदान के समझौतों पर क्रमशः 09.02.2012 और 30.03.2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत के साथ चुकोती अवधि 15 वर्ष होगी। ऋण निश्चित ब्याज दर @1.83% प्रति वर्ष पर है। बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से 100 मिलियन यूरो की प्रतिपूर्ति दिसंबर, 2018 तक प्राप्त कर ली है। बोर्ड केएफडब्ल्यू को अपने बकाया का नियमित भुगतान करता रहा है। 31 मार्च 2023 को केएफडब्ल्यू का कुल बकाया ऋण यूरो 40 मिलियन (₹358.43 करोड़) था (विनिमय दर 31.03.2023 को ₹89.6076/यूरो पर आधारित)।

9.12 बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं:

- i) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम की धारा 8 (ई) के तहत, बोर्ड व्यापक योजनाओं का चयन और अनुमोदन कर सकता है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान कर सकता है। उपरोक्त खंड के प्रावधानों के तहत एन.सी.आर.पी.बी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों (सीएमए) के भीतर एजेंसियों द्वारा क्षेत्र के संतुलित विकास को प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के साथ कार्यान्वयन के लिए विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। एन.सी.आर.पी.बी. एनसीआर घटक राज्यों (दिल्ली के एनसीटी सहित), इसके सीएमए और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाओं की अनुमानित लागत के अधिकतम 75% तक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि शेष हिस्सा उनके द्वारा वहन किया जाता है।
- ii) एन.सी.आर.पी.बी. अधिनियम 1985 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड की शक्तियाँ परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- I (पीएसएमजी -I) और परियोजना स्वीकृति और निगरानी समूह- II (पीएसएमजी -II) को प्रत्यायोजित की गयी हैं।
- iii) सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में पीएसएमजी -I को ₹20.00 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं और ₹50.00 लाख से अधिक की अनुमानित लागत के साथ परामर्श अध्ययन के लिए ऋण स्वीकृत करने का अधिकार है। जबकि, ₹20.00



करोड़ तक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए और ₹50.00 लाख तक की अनुमानित लागत वाले परामर्श अध्ययनों को मंजूरी के लिए सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी. की अध्यक्षता में पीएसएमजी-II में रखा जाता है।

- iv) वर्ष 2022-23 के दौरान, पीएसएमजी-I की एक बैठक 31.03.2023 (62वीं) को आयोजित की गई, जिसमें ₹134.52 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1 बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए ₹100.89 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।
- v) इसके अलावा, पीएसएमजी-I और/या पीएसएमजी-II के अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और तेजी लाने के लिए, वर्ष के दौरान राज्यों और/या उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों और एनसीआर प्रकोष्ठों के साथ निम्नलिखित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं:-

क्रियान्वयन एजेंसी	समीक्षा बैठक
राजस्थान (पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी राजस्थान), उत्तर प्रदेश (एनएमआरसी), हरियाणा (एचएसआरडीसी)	01.09.2022
हरियाणा (पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी), राजस्थान (पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी), उत्तर प्रदेश (जीएनआईडीए और एनएमआरसी), दिल्ली (ईडीएमसी), सीएमए जयपुर, सीएमए ग्वालियर	22.09.2022

- vi) बोर्ड ने ₹32,274.97 करोड़ की अनुमानित लागत से 368 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से ₹15,694.72 करोड़ की राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। बोर्ड ने मार्च 2023 तक लगभग ₹13,128.24 करोड़ की ऋण राशि जारी की है।

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार एनसीआर परियोजना का सारांश

(₹ करोड़ में)

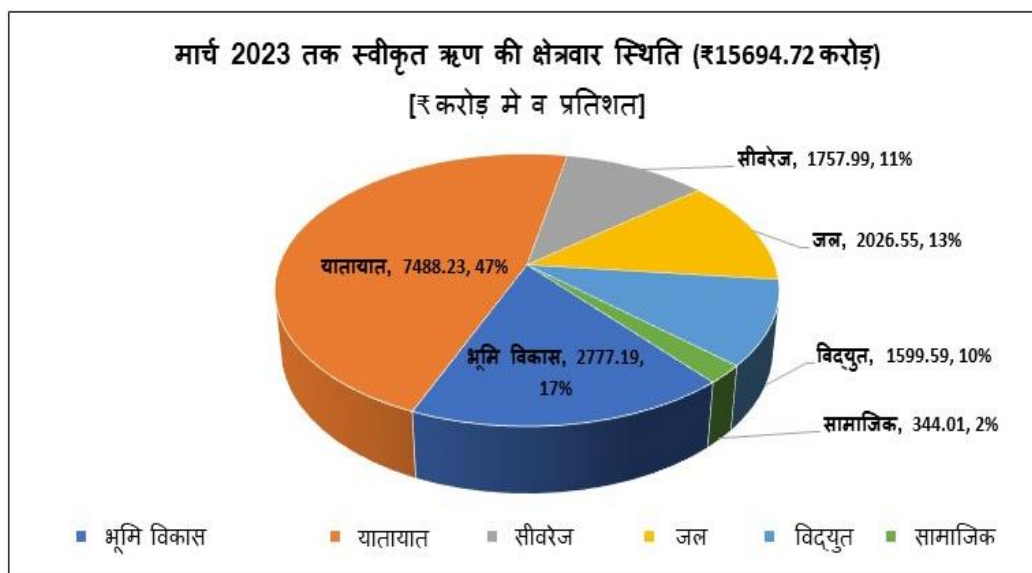
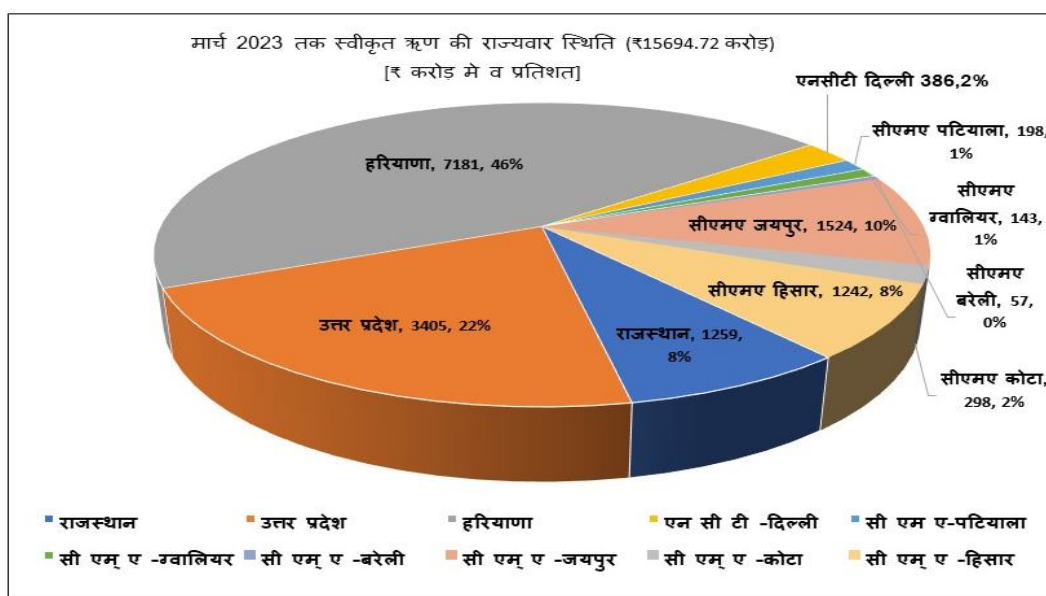
क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	बोर्ड द्वारा जारी ऋण
भूमि विकास	101	6154.64	2777.19	1779.61
परिवहन	136	13908.97	7488.23	6548.21
सीवरेज	49	2627.93	1757.99	1619.48
जल	51	2585.93	1727.71	1358.21
विद्युत	25	6427.44	1599.59	1486.28



सामाजिक	6	570.06	344.01	336.45
कुल योग	368	32274.97	15694.72	13128.24

9.13 स्वीकृत ऋण के संदर्भ में परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और क्षेत्र-वार सारांश चित्र-1 और चित्र-2 में ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 1





9.14 एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप-क्षेत्रवार विवरण (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार) पूर्ण और चालू परियोजनाओं सहित निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उप-क्षेत्र/सीएमए	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित/अंतिम लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण
1	राजस्थान	प्रक्रियाधीन	19	720.05	540.00	445.78
		पूर्ण	55	1097.00	718.83	675.09
	उप-योग		74	1817.05	1258.83	1120.87
2	उत्तर प्रदेश	प्रक्रियाधीन	3	5807.67	1811.55	1600.16
		पूर्ण	52	2875.52	1593.68	1356.29
	उप-योग		55	8683.19	3405.23	2956.45
3	हरियाणा	प्रक्रियाधीन	24	1301.23	929.21	708.48
		पूर्ण	187	10324.69	6251.77	5399.65
	उप-योग		211	11625.92	7180.98	6108.13
4	एनसीटी-दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	101.65	76.24	20.00
		पूर्ण	2	520.56	310.00	310.00
	उप-योग		3	622.21	386.24	330.00
5	सीएमए पटियाला पंजाब में	प्रक्रियाधीन	1	208.33	152.52	81.25
		पूर्ण	2	78.71	45.95	45.95
	उप-योग		3	287.04	198.47	127.20
6	सीएमए - मध्य प्रदेश में ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	0	0.00	0.00	0.00
		पूर्ण	5	209.72	143.29	132.78
	उप-योग		5	209.72	143.29	132.78
7	सीएमए - उत्तर प्रदेश में बरेली	प्रक्रियाधीन	0	0.00	0.00	0.00
		पूर्ण	2	438.68	57.00	57.00
	उप-योग		2	438.68	57.00	57.00
8	सीएमए - राजस्थान में जयपुर	प्रक्रियाधीन	6	2179.09	1483.89	1451.89
		पूर्ण	2	54.00	40.50	40.50
	उप-योग		8	2233.09	1524.39	1492.39
9		प्रक्रियाधीन	0	0.00	0.00	0.00



	सीएमए - राजस्थान मे कोटा	पूर्ण	3	1097.48	298.33	270.45
	उप-योग		3	1097.48	298.33	270.45
10	सीएमए - हरियाणा मे हिसार	प्रक्रियाधीन	1	946.00	700.00	0.00
		पूर्ण	3	4314.59	541.96	532.97
	उप-योग		4	5260.59	1241.96	532.97
	योग	प्रक्रियाधीन	55	11264.02	5693.41	4307.56
		पूर्ण	313	21010.95	10001.31	8820.68
	कुल योग		368	32274.97	15694.72	13128.24

बोर्ड द्वारा वित्तपोषित 368 परियोजनाओं में से 313 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना दी गई है और 55 अनुलग्नक-9.13 के अनुसार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

₹200 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
1	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी)	परिवहन	एनएमआर सी	जन-16	5503.00	1587.00	1430.00	प्रक्रियाधीन
2	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प	जल	जेडीए	जन - 17	1582.06	1098.00	1098.00	प्रक्रियाधीन
3	जेडीए द्वारा अम्बेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-	परिवहन	जेडीए	जन - 17	225.00	168.75	168.75	प्रक्रियाधीन



क्र. म. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
	जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण							
4	जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिक्स लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास	परिवहन	जीडीए	जन - 16	1147.60	700.00	700.00	पूर्ण
5	हरियाणा के हिसार जिले में 1200 मेगावाट (2 x 600 मेगावाट) के लिए चरण I के तहत कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना	विद्युत	एचपीजीसी एल	फर-07	4258.65	500.00	500.00	पूर्ण
6	एचएसआईआईडीसी, हरियाणा द्वारा एक्सेस नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	परिवहन	एचएसआईआईडीसी	जन - 16	457.81	343.35	333.96	पूर्ण



क्र. म. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
	का विकास (शेष कार्य)							
7	गुडगांव-नूह-राजस्थान सीमा (एसएच-13)(किमी 7+200 से 95+890) को फोर लेन, चौड़ा और मजबूत बनाना	परिवहन	पीडब्ल्यू डी (बी&आर), हरियाणा	फर-08	347.97	261.00	261.00	पूर्ण
8	एमसीडी कार्यालय और नागरिक केंद्र, नई दिल्ली का निर्माण	अन्य	एमसीडी	नव-04	410.56	250.00	250.00	पूर्ण
9	जिला मेवात, हरियाणा में शिक्षण अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण	सामाजिक	स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा	जून-09	318.91	239.18	239.18	पूर्ण
10	मेवात क्षेत्र के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का विस्तार- चरण- I, हरियाणा, 09 नवंबर में संशोधित	जल	पीएचईडी, हरियाणा	नव-09	300.49	225.36	225.36	पूर्ण
11	यूपीपीसीएल द्वारा मेरठ मंडल के पारेषण एवं	विद्युत	यूपीपीसीएल	मार्च-02	299.89	224.89	140.40	पूर्ण



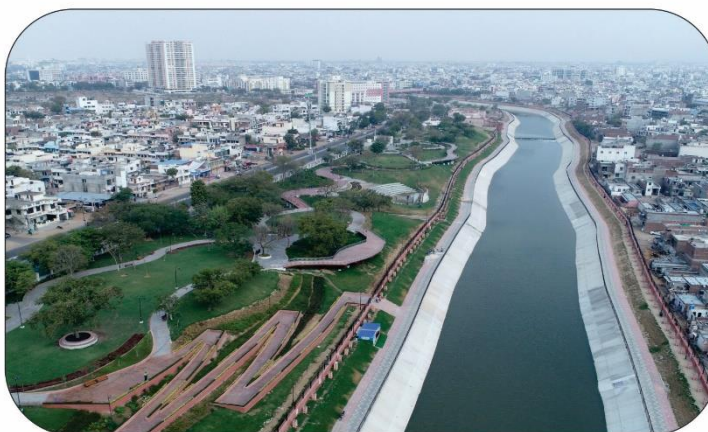
क्र. म. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	जारी ऋण	स्थिति
	वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण							
12	पलवल, मेवात, गुड़गांव और रेवाड़ी जिले में एनएच-71 (एमडीआर 132) तक होडल नूह पटौदी पटौदा रोड किमी 0 से 96.20 तक 10 मीटर चौड़ा और मजबूत करने की परियोजना।	परिवहन	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	फर-08	239.87	179.90	179.90	पूर्ण
13	कोटा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) विस्तार इकाई 7, चरण V(1x195 मेगावाट) कोयला, आधारित विद्युत परियोजना	विद्युत	आरआरवी पीएनएल	अक्टू-07	880.00	160.00	160.00	पूर्ण
14	मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप चरण- I का विकास	एलडीआई	एचएसआई आईडीसी	जुलाई-99	564.57	134.19	115.00	पूर्ण
15	हरियाणा में एनसीआर जल आपूर्ति चैनल के निर्माण की योजना	जल	पीडब्ल्यू डी (सिंचाई) हरियाणा सरकार	जून-09	322.00	112.70	112.70	पूर्ण

**एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी
ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें**



नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच
मेट्रो कनेक्शन की परियोजना
(29.707 किमी) [अनुमानित
लागत - ₹5503 करोड़; स्वीकृत
ऋण - ₹1587 करोड़]

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच
मेट्रो कनेक्शन की परियोजना
(29.707 किमी) [अनुमानित
लागत - ₹5503 करोड़; स्वीकृत
ऋण - ₹1587 करोड़]



जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास
सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती
नदी) का कायाकल्प [अनुमानित
लागत - ₹1582 करोड़; स्वीकृत ऋण
- ₹1098 करोड़]

**एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी
ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें**



कोटा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस) का विस्तार यूनिट 7, चरण V(1x195 मेगावाट) कोयला, आधारित बिजली परियोजना [अनुमानित लागत - ₹880 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹160 करोड़।]

जिला मेवात, हरियाणा में शिक्षण अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹319 करोड़; स्वीकृत ऋण- ₹239 करोड़।]



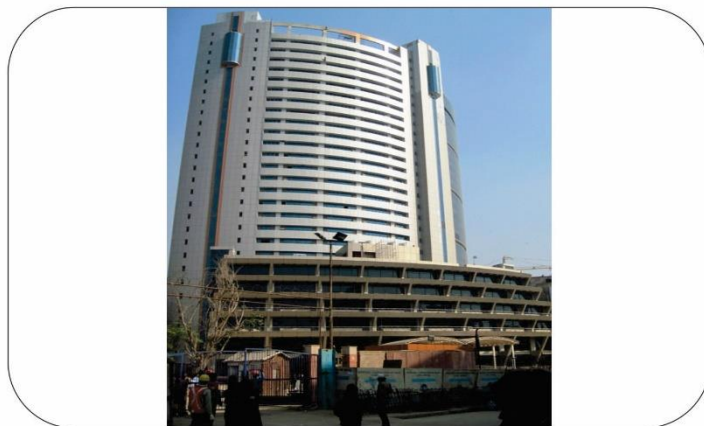
हरियाणा के हिसार जिले में 1200 मेगावाट (2x 600 मेगावाट) के लिए चरण I के तहत कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना [अनुमानित लागत - ₹4258 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹500 करोड़।]

**एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी
ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें**



हरियाणा में एनसीआर जल आपूर्ति चैनल के निर्माण की योजना [अनुमानित लागत - ₹322 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹113 करोड़]

एमसीडी कार्यालय और नागरिक केंद्र, नई दिल्ली का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹410.56 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹250 करोड़]



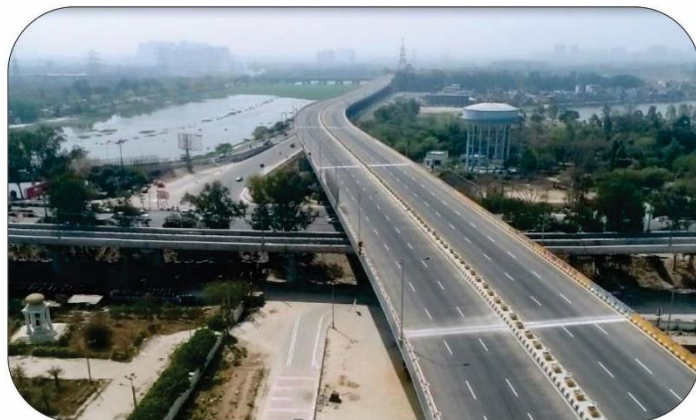
जेडीए द्वारा जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से अम्बेडकर सर्कल के पास एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण [अनुमानित लागत - ₹225 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹169 करोड़]

**एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित महत्वपूर्ण बुनियादी
ढांचा परियोजनाओं की तस्वीरें**



जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छः लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास [अनुमानित लागत - ₹1147 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹700 करोड़।]

जीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सिक्स लेन एलिवेटेड रोड (हिंडन) का विकास [अनुमानित लागत - ₹1147 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹700 करोड़।]



एचएसआईआईडीसी, हरियाणा द्वारा एक्सेस नियंत्रित कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे खंड (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी। 135.650 किमी) का विकास (शेष कार्य) [अनुमानित लागत - ₹458 करोड़; स्वीकृत ऋण - ₹343 करोड़।]



9.15 वर्ष के दौरान वितरित ऋण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, निम्नलिखित विवरण के अनुसार 19 चालू परियोजनाओं और 02 नई परियोजना के लिए प्रतिभागी राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹313.40 करोड़ की राशि वितरित की गई:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रवार ऋण जारी करना

क्षेत्र	₹ करोड़ में
सीवरेज	95.12
सड़क/आरओबी	218.28
कुल	313.40

9.16 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजनावार जारी ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण	जारी करने की तिथि
1	सनोली पानीपत रोड (आरडी 7.200 से 18.310) तक (जीटी रोड एनएच-44) के बचे हुए हिस्से का सुधार जो कि पानीपत जिले में नए घोषित (एनएच-709 एडी) के अंतर्गत नहीं आता है।	7,575	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	3,408	30.06.2022
2	एलसी 58 और 59 पर आरओबी को छोड़कर, पानीपत जिले में एनएच-709 (मंजूरी आरडी 3.00 से 6.700) तक पानीपत (जीटी रोड एनएच-44) से दहर तक चार लेन का सुधार।	3,071	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	1,728	30.06.2022



3	पलवल जिले के होडल शहर में एनजीटी दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए छूटी हुई कॉलोनियों और नई स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क और नालों का दोहन	466	पी एच ई डी हरियाणा	सीवरेज व ड्रेनेज	192	27.07.2022
4	नूंह जिले में किमी 0.00 से 12.20 तक टौरु सराय रोड का कोटा खंडेवला तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (आईडी 1095 और 1106)	3,251	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	975	09.09.2022
5	जिला सोनीपत में लालेरी-लारसौली (किमी 0.00 से 4.63) के माध्यम से जीटी रोड (एनएच -44) के लिंक के साथ सोनीपत से गन्नौर वाया कामी (किमी 0.00 से 13.600) तक मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण प्रदान करके उन्नयन।	2,246	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	1,384	09.09.2022
6	रेवाड़ी जिले (आईडी 1447) में वर्तमान रेवाड़ी शाहजहाँपुर रोड (एसएच-15) के किमी 6.42 से 22.42 तक चौड़ीकरण (7 मीटर से 10 मीटर) और किमी 22.42 से 26.62 तक सुदृढ़ीकरण प्रदान करके सुधार।	4,214	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	2,600	09.09.2022



7	बेरी शहर की छूटी हुई अनुमोदित कॉलोनियों में सीवरेज प्रणाली प्रदान करना और झज्जर जिले के बेरी में जल स्थिरीकरण तालाब पर मौजूदा 2 एमएलडी एसटीपी आधारित एसबीआर प्रौद्योगिकी के स्थान पर क्लोरीनीकरण के बाद 2.6 एमएलडी एसटीपी का निर्माण सभी मामलों में पूरा हो गया है।	782	पी एच ई डी हरियाणा	सीवरेज व ड्रेनेज	135	14.10.2022
8	सोनीपत जिले में पड़ने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारे हरेवेली गांव के पास घोगरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन रिलीफ रोड का निर्माण।	20,000	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	7,500	23.12.2022
9	नूंह जिले में किमी 000 से 11.30 तक पुन्हाना कोट रोड का पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढीकरण (आईडी 1271)	4,288	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	1,286	23.12.2022
10	4-लेन प्रदान करके सुधार (i) रेवाडी जिले में किमी 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाडी बावल सड़क का सीसीपी (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) (ii) रेवाडी जिले में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाडी बावल सड़क का सीसीपी (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449)	4,251	पीडब्ल्यूडी (बी&आर) एचएसआरडीसी हरियाणा	सड़क	2,600	23.12.2022



11	राजगढ़ से कारोठ सड़क किमी 0/0 से 3/0 तक का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	528	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	9	30.12.2022
12	गोठ की चौकी बिगोटा रोड किमी 0/0 से 21/0 का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	1,375	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	27	30.12.2022
13	दौसा टहला सरिस्का रोड एसएच-29ए पर किमी 8/00 से 38/00 तक 5.50 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढीकरण और चौड़ीकरण	1,724	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	57	30.12.2022
14	घाट से राजपुर बड़ा वाया देवती किमी 0/0 से 10/800 तक उन्नयन, सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	1,347	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	6	30.12.2022
15	रामगढ़-गोविंदगढ़-सिकरी नगर रोड एसएच-45 किमी 8/825 से 27/745 (चिदवई-गोविंदगढ़ जिला सीमा खंड तक) का उन्नयन, सुदृढीकरण और विकास कार्य	2,781	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	82	30.12.2022
16	तातारपुर चौराहा-शयोपुर खानपुर अहीर जाटभागोला अलीपुर रोड किमी 0/0 से 36/500 पर उन्नयन सुदृढीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	4,565	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	97	30.12.2022
17	अलवर से मदनपुरी भजीत नंगला चरण होते हुए हल्दीना में मत्स्य विश्वविद्यालय तक सड़क का उन्नयन (3.75 मीटर से 7.00 मीटर कैरिजवे)	1,650	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	49	30.12.2022



18	2.83 करोड़ की कुल अनुमानित लागत पर किमी 0/0 से 2/0 (ए/आर से नारायणी माता मंदिर) तक 5.5 मीटर से 7.0 मीटर तक सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उन्नयन।	281	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	सड़क	20	30.12.2022
19	जयपुर शहर में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का पुनरुद्धार, जेडीए	1,58,206	जेडीए, जयपुर	सीवरेज व ड्रेनेज	3,900	23.02.2023
20	ईपीसी आधार पर बड़ी नदी और छोटी नदी का पुनरुद्धार, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण और सीवरेज नेटवर्क बिछाना	20,833	पीडीए, पटियाला	सीवरेज व ड्रेनेज	5,000	23.03.2023.
21	सोनीपत जिले के गन्नौर शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण प्रदान करना	564	पी एच ई डी हरियाणा	सीवरेज व ड्रेनेज	286	27.03.2023
	कुल	2,43,998			31,340	

एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित हाल की परियोजनाएं



परियोजना का नाम - गोठ की चौकी से बिगोटा रोड किमी 0/00 से 21/00 (वीआर) का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और विकास कार्य - अनुमानित लागत ₹14.87 करोड़ और ऋण स्वीकृत ₹11.15 करोड़।

परियोजना का नाम - पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल उपचार संयंत्र - अनुमानित लागत ₹121.48 करोड़। और ऋण स्वीकृत ₹87.16 करोड़।



परियोजना का नाम - नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन (29.707 किमी) - अनुमानित लागत ₹5503 करोड़ और ऋण स्वीकृत ₹1587 करोड़



9.17 लेखाओं की लेखापरीक्षा - 2021-22 के लिए बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वार्षिक खाते अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए बोर्ड के सदस्यों को वितरित कर दिए गए हैं।

9.18 लेखापरीक्षा अवलोकन - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक लेखा समिति ने सी एंड एजी की रिपोर्ट संख्या 3, 2020 पैरा 4.1 "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कार्यप्रणाली" को परीक्षा के लिए चुना है। इस संबंध में एन.सी.आर.पी.बी. के कामकाज पर पृष्ठभूमि नोट, सीएण्डएजी टिप्पणियों के संबंध में विभागीय स्थिति के साथ बोर्ड द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 10.02.2022 को इस मामले में मौखिक साक्ष्य मांगा। इसके अलावा, बैठक में पीएसी ने एन.सी.आर.पी.बी. के कामकाज पर सवाल उठाए जिनका जवाब दिया गया है। इस संबंध में, 15.6.2022 को पीएसी की अगली बैठक आयोजित की गई और सीएजी रिपोर्ट (2020 की संख्या 3 - पैरा 4.1) पर पीएसी के बिंदुओं / प्रश्नावली की सूची दी गई। इसका जवाब मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

9.19 भर्ती -

क. वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित पदों पर भर्ती की गयी:-

- i. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
- ii. सहायक ग्रेड II

ख. वर्ष के दौरान निम्नलिखित सलाहकारों की नियुक्ति अंशकालिक अवधि हेतु की गई:

- i. परामर्शदाता - I (वित्त)
- ii. परामर्शदाता - I (जीआईएस)

9.20 राजपत्र अधिसूचना जारी करना: निम्नलिखित पदों के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान भर्ती विनियमों (आरआर) में संशोधन पर राजपत्र अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं: -

- i) मुख्य क्षेत्रीय नियोजक - क्रमांक सीजी-डीएल-ई-29082022-238442 दिनांक 29 अगस्त 2023
- ii) सहायक ग्रेड II - क्रमांक सीजी-डीएल-ई -29082022-238436 दिनांक 29 अगस्त 2023
- iii) योजना सहायक - क्रमांक सीजी-डीएल-ई-29082022-238436 29 अगस्त 2023



9.21 सतर्कता

क) श्री पी.सी. धस्माना, निदेशक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में अंशकालिक सी.वी.ओ. है। सतर्कता संबंधी सभी मामलों और मुद्दों को अंशकालिक सी.वी.ओ. द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट www.ncrpb.nic.in पर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपलोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं संबंधी ब्रोशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति, ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, लागू ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेख भी उपलब्ध हैं। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को भी दर्शाया जाता है।

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, बोर्ड में 31 अक्टूबर, 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह "भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत" "Corruption free India for a developed Nation" थीम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सदस्य सचिव द्वारा कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलायी गयी।

एनसीआरपीबी के कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं:-

- सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।
- बोर्ड कार्यालय में बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित किये गये।
- बड़े पैमाने पर हाउसकीपिंग गतिविधियों का आयोजन किया गया।



- बोर्ड में एक सतर्कता प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें अधिकांश कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया।



9.22 आरक्षण नीति - बोर्ड एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी (विकलांग व्यक्तियों) / पूर्व सैनिकों / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करता है। निर्देशों के अनुसार रोस्टर्स का रखरखाव किया जाता है और उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के संपर्क अधिकारी के साथ-साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बोर्ड में शिकायत/शिकायत रजिस्टर भी बनाए रखा जाता है और प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायतों को तुरंत निपटाने का प्रयास किया जाता है।



9.23 सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) - बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवश्यक आरटीआई से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट <https://ncrpb.nic.in> पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) का विवरण शामिल होता है। बोर्ड ने भारत सरकार के डीओपीटी के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर पंजीकरण किया है, और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों / अपीलों को पोर्टल के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in पर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाती है। वर्ष के दौरान, 86 आवेदन और 12 प्रथम अपील प्राप्त हुईं और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटा दी गई।

9.24 पीओएसएच अधिनियम 2013 का अनुपालन - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को बोर्ड में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी शिकायतों के निवारण के स्पष्ट उद्देश्य के साथ लागू किया गया है। बोर्ड में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में बोर्ड कार्यालय में आंतरिक समिति का गठन किया गया है।

9.25 एन.सी.आर.पी.बी. में राजभाषा को प्रोत्साहन

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा की चार बैठकें आयोजित की गईं, प्रत्येक तिमाही में एक। कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग में प्रशिक्षित करने और उनके काम को हिंदी में सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, 2 हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

सितंबर, 2022 में 'हिंदी पखावाड़ा' का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताएं सितंबर और मार्च में आयोजित की गईं। हिंदी निबंध प्रतियोगिता और हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई से सितंबर तिमाही में किया गया और वाद विवाद और हिंदी प्रश्नोत्तरी का आयोजन जनवरी से मार्च, 2023 तिमाही में किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उन्हें पुरस्कार वितरित किये गये। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों ने हिंदी बैठकों में भाग लिया:-

- i) सदस्य सचिव और निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) ने 26 अगस्त 2022 को ऊटी में मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति की बैठक में भाग लिया।
- ii) निदेशक (प्रशा. एवं वित्त) और सहायक निदेशक (प्रशासन) ने 14-15 सितंबर 2022 को सूरत में द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया और



iii) सहायक निदेशक (प्रशासन) ने 3 नवंबर 2022 को अमृतसर में क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया।

9.26 कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई पर की गई कार्रवाई

एन.सी.आर.पी.बी. ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार का पालन किया। कोविड-19 से लड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:-

- कार्यालय में कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर मशीन की स्थापना
- बिना मास्क के कार्यालय में आने की अनुमति नहीं
- ऑनलाइन बैठकें
- एएचयू इकाइयों और एसी डक्ट की सफाई
- साप्ताहिक आधार पर कार्यालय परिसर की सैनिटाइज़ेशन
- डीओपीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय में उपस्थिति का अनुपालन
- कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए अलग-अलग समय

9.27 एन.सी.आर.पी.बी. में स्वच्छता अभियान 2.0: सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड में स्वच्छता अभियान 2.0 सफलतापूर्वक चलाया गया। इसके अलावा, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, ई-कचरे और अन्य अप्रचलित/अनुपयोगी/निष्क्रिय स्टोर वस्तुओं/स्क्रेप सामग्री का निपटान दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य विक्रेताओं के माध्यम से ₹1.27 लाख में किया गया।

9.28 हर घर तिरंगा अभियान: भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, बोर्ड में निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई:-

- i. बोर्ड के कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किये गये
- ii. एनसीआरपीबी की वेबसाइट पर पोस्टर अपलोड किए गए

iii. कार्यालय के प्रवेश द्वार/अंदर पोस्टर लगाया गया।



- 9.29 **GEM (सरकारी ई-मार्केट प्लेस) के माध्यम से खरीद** - सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, अधिकांश मामलों में, बोर्ड GEM से ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है।
- 9.30 **शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी)** - बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभिन्न मामलों जैसे भर्ती और पदोन्नति, छुट्टी, कर्मचारी भुगतान, वित्तीय प्राधिकरण और विविध मामलों के लिए सबमिशन और वित्तीय उत्तरदायित्वों के चैनल को संशोधित किया गया।
- 9.31 **एनसीआरपीबी में ईएचआरएमएस:** बोर्ड में ईएचआरएमएस को लागू करने के लिए एनआईसी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई। अंततः, एनआईसी ने एनसीआरपीबी को ईएचआरएमएस के विस्तार को मंजूरी दे दी। ईएचआरएमएस पैकेज में कर्मचारियों का डाटा फीड करने का कार्य प्रगति पर है। एनसीआरपीबी पहली स्वायत्त संस्था है जहां ईएचआरएमएस सूट के कार्यान्वयन को एनआईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- 9.32 **साइबर जागरूकता दिवस:** सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, साइबर सुरक्षा पर कर्मचारियों के बीच निरंतर जागरूकता पैदा करने के लिए, बोर्ड में हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा, अधिकांश कर्मचारियों ने 27 अप्रैल 2022 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।



एनसीआर में अंतर्राज्यिक कनेक्टिविटी सड़कें/संयोजन (लिंकेज)

1. आश्रम चौक, दिल्ली से कालिंदी बाय-पास सड़क से फरीदाबाद बाय-पास।
2. कालिंदी कुंज-नोएडा (120 मीटर अनुप्रवाह) के पास यमुना नदी पर दूसरे पुल का निर्माण (अब पूरा हो चुका है); और नोएडा में चिल्ला रेगुलेटर (मयूर विहार के पास), सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड (महामाया फ्लाईओवर) तक शाहदरा नाला संरेखण (ड्रेन-एलाइनमेंट) के साथ एलिवेटेड रोड (कार्य आरंभ हो चुका है)।
3. गुड़गांव को जोड़ने वाली क्षेत्रीय योजना के-II में 80 मीटर द्वारका लिंक (30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी के साथ 150 मीटर की चौड़ाई लिए हुए एनपीआर से गुजरते हुए) (कार्य आरंभ हो चुका है)।
4. तिलोरी गाँव, फरीदाबाद के साथ सेक्टर 149-ए और 150 नोएडा को जोड़ने वाला पुल।
5. सेक्टर 168 और 167-ए, नोएडा को लालपुर गांव, फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल।
6. छपरौली और हाथवाड़ा (ग्राम पानीपत, हरियाणा) के बीच यमुना पर पुल (कार्य आरंभ हो चुका है)।
7. गुड़गांव क्षेत्र को नजफगढ़ रोड से जोड़ने वाली 75 मीटर चौड़ी सड़क लिंक
8. उत्तर प्रदेश में यूईआर-I, दिल्ली से खेकड़ा सिटी रा.रा.-57 तक और यूईआर-II, दिल्ली से ट्रॉनिका सिटी रा.रा.-57 तक।
9. एसएच 18, तक बवाना औचंदी मार्ग विस्तार (कार्य पूरा हो चुका है)।
10. एजुकेशन सिटी, कुंडली से 60 मीटर चौड़ी सड़क को दिल्ली से जोड़ने और जोन पी-II के जोनल प्लान में शामिल करने की आवश्यकता है।
11. महरौली-गुड़गांव रोड को रा.रा.-236 के रूप में विकसित किया जाना है।
12. रिंग रोड (इंदर लोक मेट्रो स्टेशन) एवं मौजूदा यमुना नहर लिंक रोड से हरियाणा की सीमा तक सड़क।
13. दिल्ली रिज से गुजरती हुई नेल्सन मंडेला टी-पॉइंट (वसंत कुंज फ्लाईओवर के पास) को जोड़ने वाली मौजूदा गुड़गांव-महरौली सड़क।
14. ग्वाल पहाड़ी मंडी गदर्पुर-जौनपुर सड़क का अंधेरिया मोड़, दिल्ली तक उन्नयन करना



अनुलग्नक - 9.14

एन.सी.आर.पी.बी. से ऋण सहायता के साथ चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सूची (31 मार्च, 2023 तक)

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना					
1.	रोहतक जिले में दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर एल/सी 79 पर लखनमाजरा महम रोड पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	19 जन-16	56.04	23.15	19.26
2.	पलवल जिले में पलवल हसनपुर (रसूलपुर) रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 564 पर 2 लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14 नव-17	47.78	23.41	23.41
3.	पलवल जिले में पलवल बमनी खेरा हसनपुर रोड पर मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन के एलसी नंबर 561 पर 2 लेन आरओबी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14 नव-17	48.88	22.06	22.06
4.	सोनीपत जिले में मौजूदा सोनीपत-रथधना नरेला सड़क किमी 2.310 से 14.800 तक का उन्नयन (आईटीआई चौक से साफियाबाद गांव तक सोनीपत जिला सीमा तक)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14 नव-17	101.81	76.36	76.36
5.	रेवाड़ी-नारनौल मार्ग से रेवाड़ी झज्जर होते हुए रेवाड़ी दादरी मार्ग एवं रेवाड़ी मोहिंदरगढ़ मार्ग से 3 आरओबी (प्रस्तावित बाय-पास), रेवाड़ी तक लिंक रोड का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	14 नव-17	176.00	132.00	132.00
6.	सोनीपत जिले में पड़ने वाली पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यूवाईसी) के किनारे हरेवेली गांव के पास घोगरीपुर से हरियाणा-दिल्ली सीमा तक 2 लेन रिलीफ रोड का निर्माण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	07 जून-19	200.00	150.00	150.00
7.	नूंह जिले में टौरू सराय रोड को कोटा खांडेवाला तक किमी 0.00 से 12.20 तक चौड़ा और मजबूत करना	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16 मार्च-20	32.51	24.38	24.38
8.	नूंह जिले में 000 किमी से 11.30 किमी तक पुन्हाना कोट रोड पर पुनर्निर्माण के साथ चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16 मार्च-20	42.88	32.16	32.16



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
9.	पलवल और नूंह जिले में पलवल हथीन उठावर सड़क (एमडीआर-135) को 4 लेन/उठाने/सीसी फुटपाथ/मजबूती से सुधार (लंबाई 22.400 किमी)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16 मार्च-20	73.81	55.36	22.14
10.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ छैंसा मोहना रोड पर किमी 3.00 (बाई पास रोड) से 14.96 किमी (केजीपी पर इंटरचेंज) तक विभाजित कैरिजवे प्रदान करके केजीपी एक्सप्रेसवे के साथ फरीदाबाद शहर की कनेक्टिविटी में सुधार	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	16 मार्च-20	73.06	54.79	21.91
11.	सोनीपत से गनौर सड़क को कामी (0.00 से 13.600 किमी) के माध्यम से जीटी रोड (एनएच -44) से लालेहरी-लासौली (किमी 0.00 से 4.63) के लिंक के साथ मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करके उन्नयन।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-सित-20	22.46	16.84	16.84
12.	रेवाड़ी जिले में मौजूदा रेवाड़ी-शाहजहांपुर सड़क (एसएच-15) (आईडी 1447) को चौड़ा करने (7 मीटर से 10 मीटर) किमी 6.42 से 22.42 तक और 22.42 से 26.62 तक सुदृढीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1447)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-सित-20	42.14	31.61	31.61
13.	4-लेनिंग के माध्यम से सुधार (i) रेवाड़ी जिले में किमी 1.60 से 10.91 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी (ओडीआर वीटी) (आईडी 9957) (ii) रेवाड़ी जिले (ओडीआर वीटी) (आईडी 1449) में किमी 11 से 12.75 तक मौजूदा रेवाड़ी बावल सड़क का सीसीपी	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-सित-20	42.51	31.88	31.88
14.	रेवाड़ी जिले में मौजूदा कुंड खोल मंडोला सड़क को 0.00 किमी से 18.82 तक चौड़ा करने (5.50 मीटर से 7 मीटर) और सुदृढीकरण प्रदान करके सुधार (आईडी 1606)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	28-सित-20	42.20	31.65	31.65
15.	सानोली पानीपत रोड का सुधार (आरडी 7.200 से 18.310 तक (जीटी रोड एनएच-44) बचा हुआ हिस्सा जो पानीपत जिले में (एनएच -709 ईस्वी) के तहत कवर नहीं है।	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	24-मार्च -22	75.75	56.81	34.08



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
16.	पानीपत जिले में पानीपत (जीटी रोड एनएच-44) से डाहर तक एनएच-709 (सेक्शन आरडी 3.00 से 6.700) तक चार लेन का सुधार	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	24-मार्च-22	30.71	23.03	17.28
17	एचएसआरडीसी/पीडब्ल्यूडी बी एंड आर हरियाणा द्वारा हरियाणा के झज्जर जिले में किमी 0 से 37.978 तक छुछकवास-मातनहेल-बाहु-करोली (सीएमबीके) रोड के पक्के कंधों के साथ 2 लेन का सुधार (चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण)	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	31-03-2023	134.52	100.89	
				1243.06	886.38	687.02
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं					
18.	सोनीपत जिले के गनौर शहर में तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 7 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	5.64	4.08	4.08
19.	सोनीपत जिले के खरखोदा कस्बे में एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 4.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	4.54	3.26	0.98
20.	पानीपत जिले के समालखा शहर में एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 5 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	7.14	5.19	1.56
21.	मौजूदा 5.5 एमएलडी एसटीपी और 5 एमएलडी एसटीपी (एमबीबीआर प्रौद्योगिकी) का उन्नयन, कोसली रोड और सांपला रोड पर तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण के साथ-साथ कुछ शेष पाइपलाइन बिछाने, झज्जर टाउन	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	11.00	7.91	2.37
22.	कलानूर शहर, रोहतक जिले में छूटी हुई कॉलोनियों और हाल ही में स्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज योजना और एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 3.5 एमएलडी एसटीपी का नवीनीकरण और उसके बाद तृतीयक उपचार और क्लोरीनीकरण।	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	8.26	6.19	4.03



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
23.	सांपला शहर में बचे हुए क्षेत्रों और हाल ही में स्वीकृत कॉलोनियों में सीवर योजना और रोहतक जिले के सांपला शहर में तृतीयक उपचार के बाद एमबीबीआर तकनीक पर आधारित मौजूदा 4 एमएलडी एसटीपी का उन्नयन और नवीनीकरण	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	7.93	5.95	1.78
24.	तृतीयक उपचार के साथ मौजूदा एसटीपी का संशोधन, एसटीपी सोहना से नूंह ड्रेन में अपशिष्ट निपटान और शेष स्वीकृत कॉलोनियों के लिए सीवर सिस्टम बिछाने के साथ-साथ सोहना शहर की नालियों की टेपिंग	पीएचईडी हरियाणा	14 नव-17	13.66	10.25	6.66
				58.17	42.83	21.46
	हरियाणा उप योग			1301.23	929.21	708.48
	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना					
25.	नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्शन की परियोजना (29.707 किमी)	एनएम आरसी	19 जन-16	5503.00	1587.00	1430.00
				5503.00	1587.00	1430.00
	जल क्षेत्र परियोजना					
26.	देहरा (गाजियाबाद) में इनटेक से पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में डब्ल्यूटीपी साइट तक कच्चा जल परिवहन मुख्य डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक साफ पानी का मेन	जीएनआई डीए	07-08-13/ फर-16	183.19	137.39	83.00
27.	देहरा (गाजियाबाद) में प्राथमिक उपचार कार्य, पल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल उपचार संयंत्र और संबद्ध कार्य	जीएनआई डीए	07-08-13/ फर-16	121.48	87.16	87.16
				304.67	224.55	170.16
	उ.प्र. उप-योग			5807.67	1811.55	1600.16
	राजस्थान उप-क्षेत्र					
	जल क्षेत्र					
28.	अलवर जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	174.86	131.14	94.72
29.	तिजारा जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	16.46	12.35	9.19



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
30.	राजगढ़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13	20.24	15.18	10.96
31.	बहरोड़ जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ मार्च-16	26.02	19.51	14.49
32.	भिवाड़ी जलापूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी, राजस्थान	10-10-13/ मार्च-16	40.69	30.52	30.52
33.	पीएचईडी, राजस्थान से शहरी जलापूर्ति योजना खैरथल, जिला अलवर का पुनर्गठन	पीएचईडी, राजस्थान	14-11-17	36.26	27.19	14.00
				314.53	235.89	173.88
	परिवहन क्षेत्र					
34.	बड़ौदा से शाहजहांपुर रोड पर गांव के हिस्से में सीसी 0/0 से 9/900, 10/750 से 14/600 और 15/400 से 16/400 (एमडीआर-206) में उन्नयन सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	22.78	17.08	15.37
35.	राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से पहाड़ी किलोमीटर 0/0 से 11/100 तक उन्नयन सुदृढीकरण एवं विकास पुनर्निर्माण कार्य)	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	15.44	11.58	10.42
36.	बहरोड़ से भुमारिका रोड किमी 0/0 से 12/0 तक उन्नयन सुदृढीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	13.51	10.13	9.12
37.	पदिसल-जगता बसई-रता खुर्द- बालनबसई- श्यामका-इस्माइलपुर गंज-किशनगढ़बास रोड	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	25.68	19.26	17.34
38.	प्रतापगढ़-अजबगढ़-बुर्जा तिरया रोड किलोमीटर 0/0 से 25/0 (एसएच-77) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	34.59	25.94	23.34
39.	एलनपुर-बांसूर-प्रतापगढ़-ढोला ताला सड़क किमी 25/0 से 70/0 (एसएच-52) का विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	69.09	51.81	46.62
40.	थानागाजी प्रतापगढ़ ढोला ताला सड़क किमी 99/0 से 120/200 का विकास	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	28.87	21.65	19.49
41.	हरसोली-बिबिरानी-कोटकासिम-बुधिबावल- टपुकरा रोड किमी 45/0 से 57/200, 62/900 से 64/500 और 74/0 से 76/200 पर उन्नयन सुदृढीकरण और विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	23.99	17.99	16.19
42.	कोटकासिम लाडपुर-तिजारा फिरोजपुर झिरका जिला सीमा किमी 6/0 से 40/0 का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	48.33	36.24	32.61



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
43.	अलीपुर-खेड़ी-खानपुर डागरान-पुर-निमलका-कलगांव-हिंमवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-झिरका सड़क का उन्नयन, सुदृढीकरण एवं विकास कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	34.00	25.50	22.95
44.	टपुकारा से मिलकपुर किमी 0/0 से 7/500 तक उन्नयन सुदृढीकरण एवं विकास एवं पुनर्निर्माण कार्य	पीडब्ल्यूडी, राजस्थान	14 नव-17	13.96	10.47	9.42
				330.24	247.65	222.87
	बिजली क्षेत्र					
45.	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं-अलवर जिले में 132 केवी जीएसएस बहादुरपुर, टेलको सर्कल और खैरथल के वित्तपोषण के लिए नया प्रस्ताव	आरआरवी पीएन लिमिटेड	07 जून-19	43.70	32.78	26.30
46.	एनसीआर के राजस्थान उप क्षेत्र में नई पारेषण परियोजनाएं - अलवर जिला करोली में उप-स्टेशन का निर्माण और सीकरी (जय श्री) जिला भरतपुर में स्टेशन	आरआरवी पीएन लिमिटेड	28-सित-20	31.58	23.68	22.73
				75.28	56.46	49.03
	राजस्थान उप योग			1214.49	910.74	779.46
	दिल्ली उप क्षेत्र					
	अन्य					
47.	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा साउथ जोन में कड़कड़ूमा संस्थागत क्षेत्र में बहुमंजिला कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	30 दिस-13	101.65	76.24	20.00
				101.65	76.24	20.00
	दिल्ली उप योग			101.65	76.24	20.00
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	सीएमए जयपुर					
	सीवरेज					
48.	जयपुर शहर, जेडीए में क्षेत्र विकास सहित अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) का कायाकल्प	जेडीए	27 जन-17	1582.06	1098.00	1098.00
	परिवहन क्षेत्र परियोजना					
49.	जयपुर में जेपी-डीएलआई रेलवे लाइन पर एल/सी-211, गोनेर रोड, दंतली में विद्युतीकरण कार्य सहित सीमित ऊंचाई वाले सबवे (एलएचएस) के साथ 6 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	27 जन-17	65.00	21.97	21.97



क्रम सं.	परियोजनाओं का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएसएमजी द्वारा स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक जारी ऋण
50.	पंचायत भवन/एसबीबीजे बैंक से अंबाबारी टी-जंक्शन, जयपुर तक मौजूदा झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर 3 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	27 जन-17	166.73	118.87	86.87
51.	एलसी-70 के स्थान पर 6 लेन के आरओबी का निर्माण जेपी-एसडब्ल्यूएम रेलवे लाइन पर, सीतापुर	जेडीए	27 जन-17	92.00	48.92	48.92
52.	एलसी-200, बस्ती टाउन, जयपुर के स्थान पर एलएचएस के साथ 4 लेन आरओबी का निर्माण	जेडीए	27 जन-17	48.30	27.38	27.38
53.	जेडीए द्वारा अम्बेडकर सर्कल, जयपुर के पास सोडाला ट्राई-जंक्शन से एलआईसी कार्यालय तक एलिवेटेड रोड का निर्माण	जेडीए	27 जन-17	225.00	168.75	168.75
	सीएमए जयपुर-परिवहन			597.03	385.89	353.89
	सीएमए जयपुर उप योग			2179.09	1483.89	1451.89
	सीएमए पटियाला					
	सीवरेज					
54.	पटियाला में ईपीसी आधार पर बड़ी नदी और छोटी नदी का कायाकल्प, एसटीपी और ईटीपी का निर्माण और सीवरेज नेटवर्क बिछाना	पीडीए	28-सित-20	208.33	152.52	81.25
	सीएमए पटियाला उप योग			208.33	152.52	81.25
	सीएमए हिसार					
	भूमि विकास परियोजना					
	चरण- II - एकीकृत विमानन हब, हिसार का विकास	नगरिक उड्डयन	15 जुलाई-21	946.00	700.00	
	सीएमए हिसार उप योग			946.00	700.00	0.00
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र-कुल			3333.42	2336.41	1533.14
	कुल			11264.02	5693.41	4307.56



नोट्स



नोट्स



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
पहली मंजिल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
वेबसाइट:- www.ncrpb.nic.in